

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रक.

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

-सह-संयुक्त सचिव,

झारखंड, रांची।

सचिव,

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,

शिक्षा केंद्र-2, कम्यूनिटी सेंटर,

श्रील विहार, बंगलूर गाँव,

नई दिल्ली-110092

विषय:-

एसकेओपी विद्या-विहार, बंगलूर टाऊन, देवघर का सीओएफएसई से सम्बन्धित प्रपत्र करने हेतु अनापूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, एसकेओपी विद्या-विहार, बंगलूर टाऊन, देवघर से प्राप्त आवेदन (उत्पादित संलग्न) पर संयुक्त विद्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से इस विद्यालय को सीओएफएसई से सम्बन्धित हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-671/दिनांक-16.03.2012 के आलोक में निर्नाम्न शर्तों के साथ अनापूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है:-

(i) यह अनापूर्ति प्रमाण पत्र मात्र सैद्धांतिक होगा तथा सीओएफएसई अपने निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण करेगा एवं अपने निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही विद्यालय को अपनी सम्बन्धिता प्रदान करेगा।

(ii) विद्यालय प्रबंधन को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इससे संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत नियमावली अथवा शिक्षा-निदेशों का पूर्णतः विधि सम्मत् अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर आवश्यकता के अनुकूल विद्यालय का पर्यवेक्षण कर सकेंगे कि विद्यालय द्वारा उक्त निर्धारित मापदण्डों का विधि सम्मत् अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

(iv) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीओएफएसई), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन विद्यालयों को इनसे संबंधित बोर्ड द्वारा निर्गत नियमावली में निर्धारित अर्हता एवं उपर्युक्त विद्यालयों का उल्लेखन करने पर विद्यालय का अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार का होगा। ऐसी स्थिति में इस आशय की सूचना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी दी जायेगी।

अनुलग्नक-थपान।

विद्यार्थीप्रधान,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

-सह-संयुक्त सचिव

झारखंड, रांची।

रांची, दिनांक 11/12/12

पत्रांक-12/अ.6-14/2012/3268 /
प्रतिनिधि:- मानवीय विभागीय सचिव के. आर. सचिव/विभागीय प्रमाण सचिव के सचिव/केंद्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/सचिव/प्रवाह, एसकेओपी विद्या-विहार, बंगलूर टाऊन, देवघर को सूचनाएं एवं आवश्यकताएं प्राप्त हों।

Secretary
S.K.P. Vidya-Vihar
Bompass Town
B.Deoghhar (Jh.) 814114

Principal
S.K.P. Vidya-Vihar
Bompass Town
B.Deoghhar (Jh.) 814114

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
सह-संयुक्त सचिव
झारखंड, रांची।